यूटीयू लॉ कोर्स के लिए दे सकेगा संबद्धता

देहरादून। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय राज्य के नए शिक्षण संस्थानों को लॉ कोर्स के लिए संबद्धता दे सकेगा। राजभवन ने इस संबंध में विधानसभा से भेजे विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके अलावा निरसन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। यूटीयू इंजीनियरिंग, टेक्नॉलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कोर्स के लिए शिक्षण संस्थानों को संबद्धता देता रहा है, लेकिन उसके पास लॉ के लिए संबद्धता देने का प्रावधान नहीं था। विधेयक को मंजूरी से लॉ के लिए नए शिक्षण संस्थानों को संबद्धता दी जा सकेगी। संवाद